

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :— एफ 2 (ग) ए.सी.पी./1990-II/अलेसे-।/२१००-०७

दिनांक :— २१.१०.२०११

कार्यालय आदेश संख्या ।।८०/२०११-१२

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11(7)एफडी/लल्स/2008 / दिनांक 12.08 एवं दिनांक 06.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14 (88)एफडी(नियम) 2008-। दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में निम्नांकित सहायक लेखाधिकारियों जिन्होंने लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर कार्यग्रहण किया था तथा जिन्होंने 18 वर्ष एवं अधिक की राजकीय सेवा निरन्तर एवं संतोषजनक पूर्ण कर ली है को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या ५ में उल्लेखित दिनांक से लेखाकार के पद का द्वितीय ~ ए.सी.पी. पी.बी.-२, ९३००-३४८०० पै-बैण्ड एवं ग्रेड-पे ४८०० स्वीकृत किया जाता है।

क्र. सं.	नाम सहायक लेखाधिकारी (सरकी)	जन्मतिथि	प्रथम कार्यग्रहण तिथि	ए.सी.पी. स्वीकृति दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	डेमन्त कुमार गुप्ता	22.03.1967	04.08.1993	04.08.2011	
2.	मुन्नालाल टोखीवाल	29.11.1968	04.08.1993	04.08.2011	
3.	पवन कुमार शर्मा	02.02.1964	04.08.1993	04.08.2011	
4.	अमित ढोटिया	20.04.1968	04.08.1993	04.08.2011	

उपरोक्त सहायक लेखाधिकारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.14 (88) एफडी (नियम) 2008-। दिनांक 31.12.09 में दी हुई शर्तों के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र य सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त सभी सहायक लेखाधिकारियों के वार्षिक वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश प.14 (४८) वित्त/नियम/०८ दिनांक 7.6.11 द्वारा स्पष्टीकरण के आधार पर गत वर्षों की प्राप्त एपीएआर य संतोषजनक सेवा प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर उक्त ए.सी.पी. हस्त शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदानुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त सहायक लेखाधिकारियों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.08 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ-14 (88) एफडी (नियम) 2008-। दिनांक 31.12.09 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति य वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारियों की सेवापुस्तिका में की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी ए.सी.पी. स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में पे-ग्रेड 4200 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं तथा एसीपी स्वीकृति तिथि को इनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है।

निदेशक

क्रमांक :— एफ 2 (ग) ए.सी.पी./1990-II/अलेसे-।/२१००-०७

दिनांक :— २१.१०.२०११

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
2. श्री..... सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय
3. निजी सहायक निदेशक महोपदय।
4. निजी पञ्चायती/गार्ड फार्झल/गोपनीय अनुभाग/काम्यूटर अनुभाग (पैबसाईट हेतु)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-१)